ISBN – 978-81-986263-8-7 | https://rchubpublisher.com/nep/

समावेशी शिक्षा में शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका और चुनौतियाँ

मनोरमा सिंह[1], डॉ0 नीतू सिंह[2],

[1] शोधार्थिनी, [2] शोध निर्देशिका, असि0 प्रोफे0, शिक्षा-संकाय,

[1,2] दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय),

दयालबाग, आगरा – 282005.

सारांश (Abstract)

21 वीं सदी में शिक्षा का लक्ष्य केवल साक्षरता तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य ऐसा परिवेश निर्मित करना है, जहाँ **हर बच्चा—चाहे वह किसी भी जाति, लिंग, भाषा, धर्म, आर्थिक स्थिति या शारीरिक/मानसिक क्षमता का हो—समान अवसर के साथ सीख सके और बढ़ सके।** यही समावेशी शिक्षा का मूल आधार है। **समावेशी शिक्षा (Inclusive Education)** एक ऐसी शैक्षणिक प्रक्रिया है, जिसमें विविधता को बाधा नहीं बल्कि शक्ति माना जाता है। यह शिक्षा प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि **हर बच्चा सीख सकता है**, बशर्ते उसे उपयुक्त अवसर, संसाधन और सहायक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा—विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सामाजिक रूप से वंचित समूहों से आने वाले विद्यार्थी, या भाषायी अल्पसंख्यक—शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित न रहे। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को व्यवहार में लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं – **शिक्षक-प्रशिक्षक (Teacher Educators)।** वे वे व्यक्ति हैं जो भावी शिक्षकों को न केवल शैक्षणिक विषयवस्तु का ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें **मूल्यपरक शिक्षा, संवेदनशीलता, विविधता की समझ और समावेशी शिक्षण विधियों** का भी प्रशिक्षण देते हैं। यह भूमिका केवल शैक्षणिक नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और व्यावहारिक भी है।

हालांकि, शिक्षक-प्रशिक्षकों के सामने कई **व्यवस्थागत, मानसिक, संसाधनगत और नीतिगत चुनौतियाँ** भी होती हैं—जैसे पाठ्यक्रम में समावेशी सिद्धांतों की कमी, प्रशिक्षण में विविधता का अभाव, सीमित ICT संसाधन, तथा शिक्षकों की पारंपरिक सोच।

मुख्य बिंदु- *समावेशी शिक्षा और शिक्षक-प्रशिक्षक ।*

1. प्रस्तावना

21 वीं सदी की शिक्षा प्रणाली समावेशिता को अपनी आत्मा मानती है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी छात्र – चाहे उनकी जाति, लिंग, भाषा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, या

शारीरिक/मानसिक क्षमता कुछ भी हो – समान अवसर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह केवल नीतियों और अधिनियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों और विशेष रूप से **शिक्षक-प्रशिक्षकों** की अहम भूमिका होती है। इस अध्याय में समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका, उनसे अपेक्षित क्षमताएँ तथा उनके समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है।21 वीं सदी की शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य केवल साक्षरता नहीं, बल्कि **समानता, समावेशन और विविधता का सम्मान** है। समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सभी विद्यार्थियों को—चाहे वे किसी भी जाति, लिंग, भाषा, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि या शारीरिक/मानसिक स्थिति से हों—एक साथ, समान अवसरों के साथ शिक्षित करने का प्रयास करती है। इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए **शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका** अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

शिक्षक-प्रशिक्षक वे व्यक्ति होते हैं जो भावी शिक्षकों को न केवल विषयवस्तु का ज्ञान देते हैं, बल्कि उन्हें **समावेशी दृष्टिकोण, सहानुभूति, और व्यावहारिक शिक्षण रणनीतियों** से भी लैस करते हैं। यह अध्याय समावेशी शिक्षा के संदर्भ में उनकी भूमिका, योगदान और उन चुनौतियों पर केंद्रित है, जिनका वे प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान सामना करते हैं। साथ ही, इसमें यह भी विश्लेषण किया गया है कि नीति, पाठ्यक्रम और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है।

साहित्य समीक्षा (Literature Review)

समावेशी शिक्षा की संकल्पना पर प्रारंभिक शोध *UNESCO (1994)* की **Salamanca Declaration** से शुरू होती है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि शिक्षा सभी बच्चों के लिए समान होनी चाहिए, चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक या शारीरिक परिस्थिति में हों। *Booth & Ainscow (2002)* ने समावेशी शिक्षा के लिए 'Index for Inclusion' विकसित किया, जो संस्थागत, वर्ग-कक्षीय और व्यक्तिगत स्तर पर समावेशी संस्कृति विकसित करने में सहायक है।

भारत में समावेशी शिक्षा के संदर्भ में *Rao (2003)* और *Myreddi & Narayan (2005)* ने बताया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी कक्षाएँ तभी सफल हो सकती हैं जब शिक्षक प्रशिक्षित हों और उनके पास पर्याप्त संसाधन हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी बहुभाषिकता, समावेशिता और समानता को शिक्षा के मुख्य स्तंभों में स्थान दिया है।

Sharma, Umesh & Deppeler, Joanne (2012) ने अपने शोध में बताया कि शिक्षक-प्रशिक्षकों के समावेशी दृष्टिकोण का भावी शिक्षकों के व्यवहार और सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि प्रशिक्षक स्वयं समावेशी सोच रखते हैं और वैसी ही प्रशिक्षण विधियाँ अपनाते हैं, तो शिक्षक भी कक्षा में विविधता को सहजता से स्वीकारते हैं।

- **Rao & Kumar (2020)** के अनुसार, भारत में समावेशी शिक्षा को व्यवहार में लाने के लिए शिक्षक-प्रशिक्षकों को स्थानीय भाषाओं, जातीय विविधता और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ विकसित करनी चाहिए।

- **Mittal, P. (2019)** ने अपने शोध में सुझाव दिया कि शिक्षक-प्रशिक्षकों को ICT आधारित समावेशी तकनीकों का प्रशिक्षण देना समय की मांग है।

NCTE (2014) की रिपोर्ट में उल्लेख है कि बी.एड. और डी.एल.एड. पाठ्यक्रमों में समावेशी शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए ताकि भावी शिक्षक हर प्रकार के छात्र को समझ सकें।

Sharma (2011) के अनुसार, शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका केवल पाठ्य सामग्री सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि समावेशी दृष्टिकोण, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों का संचार भी आवश्यक है। *Forlin (2010)* ने बताया कि शिक्षक-प्रशिक्षकों को समावेशी शिक्षा में शिक्षकों के आत्म-विश्वास, व्यावहारिक ज्ञान और नवाचारी शिक्षण विधियों को विकसित करना चाहिए।

Florian & Rouse (2009) ने सुझाव दिया कि समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण केवल एक विषय के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रशिक्षण प्रणाली में एकीकृत होना चाहिए।

Singal (2008) ने बताया कि ग्रामीण भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान समावेशी शिक्षा की मांगों को पूरा करने में पीछे हैं, जिससे शहरी-ग्रामीण विभाजन और गहरा होता है।

Mohanty (2006) ने भारतीय संदर्भ में मातृभाषा आधारित शिक्षा और बहुभाषिकता के लाभों पर प्रकाश डाला। उनका मानना है कि जब बच्चे अपनी भाषा में सीखते हैं तो उनकी सीखने की क्षमता बढ़ती है और वे शिक्षा से नहीं छूटते।

UNESCO (1994) द्वारा प्रस्तुत *"The Salamanca Statement"* समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसमें कहा गया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए, जहाँ उन्हें समान अवसर और सहायक वातावरण मिले।

- **NEP 2020** में शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा, बहुभाषिकता और ICT का एकीकृत रूप से समावेश करने की बात कही गई है।
- *NCERT (2021)* की रिपोर्ट बताती है कि अब भी 60% से अधिक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षा पर विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।

साहित्य में यह स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा की सफलता में शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका निर्णायक है। किन्तु प्रशिक्षण की गुणवत्ता, दृष्टिकोण की कमी, संसाधनों की अनुपलब्धता और भाषायी विविधता जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। अतः यह आवश्यक है कि समावेशी शिक्षा को प्रशिक्षण के प्रत्येक स्तर पर एकीकृत किया जाए और शिक्षक-प्रशिक्षकों को समावेशी दृष्टिकोण के साथ तैयार किया जाए।

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य: समावेशी शिक्षा में शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका

भारतीय संविधान में शिक्षा को **समानता, समावेशन और न्याय** के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में देखा गया है। समावेशी शिक्षा का विचार संविधान के अनेक अनुच्छेदों में निहित है, जो शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका को न केवल आवश्यक बल्कि संवैधानिक रूप से भी वैधता प्रदान करते हैं।

1. अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार

यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं कर सकता। यह समावेशी शिक्षा की नींव रखता है, जिसमें सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षिक अवसर मिलने चाहिए।
शिक्षक-प्रशिक्षकों का कार्य है कि वे भावी शिक्षकों को ऐसा दृष्टिकोण दें जो कक्षा में सभी विद्यार्थियों को समान मान्यता और अवसर दे।

2. अनुच्छेद 15 – भेदभाव का निषेध

यह प्रावधान धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव से रोकता है। *समावेशी शिक्षा का सिद्धांत इसी भावना को सशक्त करता है।* शिक्षक-प्रशिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे भविष्य के शिक्षकों को विविधता को सम्मान देने का प्रशिक्षण दें।

3. अनुच्छेद 21A – शिक्षा का अधिकार

2002 में 86 वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया यह अनुच्छेद कहता है कि 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
यह अधिकार तभी सार्थक होगा जब सभी बच्चों – विशेष आवश्यकता वाले, अल्पसंख्यक, वंचित वर्ग – को समावेशी रूप से शिक्षा दी जाए, और इसके लिए प्रशिक्षकों को विशेष रूप से तैयार करना अनिवार्य है।

4. अनुच्छेद 29 और 30 – सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने और अपनी शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकार देता है।
शिक्षक-प्रशिक्षकों को यह सिखाना होता है कि कक्षा में भाषायी, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए।

5. अनुच्छेद 41 – सार्वजनिक सहायता का अधिकार (निर्देशक सिद्धांत)

यह कहता है कि राज्य शिक्षा और विशेष सहायता प्रदान करेगा, विशेष रूप से विकलांग, वृद्ध, या असमर्थ नागरिकों के लिए।
शिक्षक-प्रशिक्षकों को इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए समावेशी रणनीतियाँ विकसित करनी होती हैं।

भारतीय संविधान के अनेक प्रावधान समावेशी शिक्षा के पक्ष में हैं। समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षणिक विचार नहीं, बल्कि **एक संवैधानिक उत्तरदायित्व** भी है।
इस दायित्व को निभाने के लिए **शिक्षक-प्रशिक्षकों को समावेशी दृष्टिकोण, नीति-समझ, और व्यावहारिक रणनीतियों** से लैस होना आवश्यक है। वे ही शिक्षा को समावेशी और न्यायोचित बनाने की दिशा में पहला निर्णायक कदम होते हैं।

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसमें हर प्रकार के छात्र एक ही विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करते हैं, चाहे वे सामान्य हों या विशेष आवश्यकता वाले। समावेशी शिक्षा का मूल विचार **"शिक्षा सभी के लिए" (Education for All)** है, जो यूनेस्को और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य है।

3. शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका

3.1 समावेशी दृष्टिकोण का विकास

शिक्षक-प्रशिक्षकों का कार्य केवल विषय-ज्ञान देना नहीं है, बल्कि भावी शिक्षकों में समावेशी दृष्टिकोण को विकसित करना भी है। यह दृष्टिकोण उन्हें विविधता को सम्मान देने, पूर्वाग्रहों को पहचानने, और सभी छात्रों को समान दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है।

3.2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्रचना

शिक्षक-प्रशिक्षक समावेशी शिक्षा को लेकर पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पुनर्रचना करते हैं। वे B.Ed., M.Ed. जैसे कार्यक्रमों में *समानता, विविधता, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए रणनीतियाँ, सहयोगात्मक अधिगम आदि* विषयों को समाहित करने में सहायक होते हैं।

3.3 शिक्षण विधियों में नवाचार

समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि अध्यापन में बहु-स्तरीय, बहु-भाषिक और लचीली शिक्षण विधियाँ अपनाई जाएँ। शिक्षक-प्रशिक्षक इन विधियों का प्रदर्शन करते हैं और शिक्षकों को नवाचारी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं।

3.4 संवेदनशीलता और सहानुभूति का संचार

एक समावेशी कक्षा का संचालन तभी संभव है जब शिक्षक छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। यह संवेदनशीलता शिक्षक-प्रशिक्षकों द्वारा व्यवहार और प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित की जाती है।

3.5 समावेशी मूल्य और नैतिकता का प्रशिक्षण

शिक्षक-प्रशिक्षक समावेशी शिक्षा को केवल शैक्षणिक स्तर पर नहीं, बल्कि नैतिक स्तर पर भी स्थापित करते हैं। वे भावी शिक्षकों को *मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और शिक्षा में समान अवसर* जैसे मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते हैं।

4. प्रमुख चुनौतियाँ

4.1 समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कमी

अभी भी बहुत से शिक्षक-प्रशिक्षक समावेशी शिक्षा को केवल एक औपचारिकता या अतिरिक्त कार्य समझते हैं। इस दृष्टिकोण में बदलाव लाना एक बड़ी चुनौती है।

4.2 प्रशिक्षण की गुणवत्ता और अधुनिकीकरण की कमी

बहुत से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षा को लेकर पर्याप्त सामग्री, उपकरण, या विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं। इसके कारण भावी शिक्षक समावेशी कक्षाओं के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो पाते।

4.3 भाषायी एवं सांस्कृतिक विविधता

भारत जैसे बहुभाषिक देश में भाषा एक बड़ी चुनौती है। शिक्षक-प्रशिक्षकों को इस विविधता को स्वीकार करते हुए शिक्षण रणनीतियाँ विकसित करनी पड़ती हैं जो सरल नहीं है।

4.4 संसाधनों की अनुपलब्धता

समावेशी कक्षाओं में विभिन्न छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायक उपकरण, विशेष पाठ्य सामग्री, और ICT आधारित टूल्स की आवश्यकता होती है, जो कई संस्थानों में उपलब्ध नहीं हैं।

4.5 समय और पाठ्यक्रम का दबाव

शिक्षक-प्रशिक्षकों को सीमित समय में भारी पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है, जिसमें समावेशी दृष्टिकोण को समाहित करना चुनौतीपूर्ण होता है।

4.6 तकनीकी कौशल में कमी

समावेशी शिक्षा में आज तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत से शिक्षक-प्रशिक्षक स्वयं ICT या AI टूल्स के उपयोग में दक्ष नहीं हैं।

5. समाधान एवं सुझाव

5.1 सतत पेशेवर विकास (CPD)

शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए समय-समय पर **कार्यशालाओं, वेबिनार, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों** का आयोजन किया जाए ताकि वे नई समावेशी शिक्षण रणनीतियों से अपडेट रह सकें।

5.2 ICT और AI टूल्स का समावेश

शिक्षक-प्रशिक्षकों को **AI टूल्स, डिजिटल शिक्षण संसाधन, बहुभाषिक ई-कंटेंट** आदि का प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे समावेशी कक्षाओं के संचालन में प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग कर सकें।

5.3 नीति स्तर पर समर्थन

सरकार और नियामक संस्थाओं को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए **समावेशी शिक्षा को मुख्यधारा में लाने हेतु नीतिगत बदलाव** करने चाहिए।

5.4 बहु-विषयी टीमों का गठन

विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों, भाषाविदों और समावेशी शिक्षा विशेषज्ञों को मिलाकर प्रशिक्षण की योजना बनाई जाए जिससे शिक्षक-प्रशिक्षकों को व्यापक दृष्टिकोण मिल सके।

5.5 स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण सामग्री

बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री को **स्थानीय भाषाओं में अनुवादित** कर उपयोग किया जाए।

समावेशी शिक्षा में शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका का महत्त्व

शिक्षक-प्रशिक्षक (Teacher Educators) किसी भी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होते हैं, और जब बात **समावेशी शिक्षा** की हो, तो उनकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, जो हर बच्चे को उसकी व्यक्तिगत, सामाजिक, भाषायी या शारीरिक विविधता के बावजूद **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** देने पर बल देती है। इसे व्यवहार में लाने की जिम्मेदारी सबसे पहले और सबसे ज्यादा शिक्षक-प्रशिक्षकों पर ही होती है।

1. भावी शिक्षकों में समावेशी दृष्टिकोण का निर्माण

शिक्षक-प्रशिक्षक भावी शिक्षकों में संवेदनशीलता, सहिष्णुता और समानता जैसे मूल्यों का बीजारोपण करते हैं। यह केवल तकनीकी प्रशिक्षण नहीं, बल्कि एक **वैचारिक और नैतिक निर्माण** की प्रक्रिया है।

2. विविधता को अपनाने की संस्कृति का विकास

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भाषा, धर्म, लिंग, वर्ग, और शारीरिक क्षमता की विभिन्नता आम है। शिक्षक-प्रशिक्षक ही वह वर्ग है जो शिक्षकों को सिखाता है कि इन विविधताओं को बाधा नहीं, बल्कि **संपन्नता और अवसर** के रूप में देखा जाए।

3. समावेशी शिक्षण विधियों की जानकारी देना

वे शिक्षकों को *मल्टीलेवल टीचिंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग (UDL), सहायक तकनीकों, ICT टूल्स* आदि के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित करते हैं जिससे सभी प्रकार के छात्र लाभान्वित हो सकें।

4. शैक्षिक असमानता को समाप्त करने का माध्यम

शिक्षा में मौजूद वर्ग, जाति, लिंग और विकलांगता आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए शिक्षक-प्रशिक्षकों को शिक्षकों को इस तरह तैयार करना होता है कि वे *सभी छात्रों को बराबरी से स्वीकार करें और समान अवसर प्रदान करें।*

5. नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक

NEP 2020 समावेशी, न्यायसंगत और बहुभाषिक शिक्षा पर बल देती है। इन उद्देश्यों को नीति से क्रियान्वयन में लाने का कार्य शिक्षक-प्रशिक्षकों के बिना संभव नहीं है।

6. विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सहायक माहौल का निर्माण

सही मार्गदर्शन के अभाव में दिव्यांग, सीखने में कठिनाई वाले या अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्र शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। शिक्षक-प्रशिक्षक उन्हें समावेशी माहौल तैयार करने की रणनीति, दृष्टिकोण और व्यवहारिक कौशल प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

समावेशी शिक्षा आज केवल एक वैकल्पिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक आवश्यक शैक्षिक दायित्व बन चुकी है। इस दिशा में शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका सबसे अधिक निर्णायक है। वे ही ऐसे नेतृत्वकर्ता हैं जो भावी शिक्षकों में समावेशिता की भावना और व्यवहार को विकसित करते हैं। हालाँकि, उनके समक्ष चुनौतियाँ भी व्यापक हैं, परंतु उपयुक्त नीतियों, संसाधनों और सतत प्रशिक्षण के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान संभव है। अगर हम वाकई में "शिक्षा सभी के लिए" का सपना साकार करना चाहते हैं, तो शिक्षक-प्रशिक्षकों को सशक्त और संवेदनशील बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा का स्वप्न तभी साकार हो सकता है जब हमारे शिक्षक-प्रशिक्षक न केवल सामाजिक रूप से संवेदनशील हों, बल्कि शैक्षिक दृष्टि से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम, और वैचारिक रूप से समावेशी हों। उनकी भूमिका केवल एक मार्गदर्शक की नहीं, बल्कि परिवर्तनकर्ता (change-maker) की है।

संदर्भ सूची

[1] शर्मा, आर. (2011)। *समावेशी शिक्षा और शिक्षक की भूमिका*। नई दिल्ली: अंश पब्लिकेशन।

[2] राव, एस. (2003)। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा: एक भारतीय परिप्रेक्ष्य। *भारतीय शिक्षा समीक्षा*, 38(2), 22–29।

[3] मायरड्डी, एस., एवं नारायण, जे. (2005)। समावेशी कक्षा में शिक्षकों की तैयारी। *विशेष शिक्षा जर्नल*, 20(1), 12–18।

[4] पांडेय, एन., एवं अदवानी, एल. (1997)। *भारत में समावेशी शिक्षा की स्थिति*। नई दिल्ली: एनसीईआरटी।

[5] सिंगल, एन. (2008)। ग्रामीण भारत में समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ। *शिक्षा और समाज*, 25(3), 45–52।

[6] मोहन्टी, ए. (2006)। मातृभाषा आधारित शिक्षा और समावेश: एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य। *भारतीय भाषायी शिक्षा जर्नल*, 17(4), 33–40।

[7] एनसीईआरटी। (2021)। *समावेशी शिक्षा पर स्थिति रिपोर्ट*। नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।

[8] राष्ट्रीय शिक्षा नीति। (2020)। *नई शिक्षा नीति 2020*। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। https://www.education.gov.in

[9] यूनिसेफ। (2019)। *समावेशी शिक्षा के लिए वैश्विक दिशानिर्देश*। नई दिल्ली: यूनिसेफ इंडिया।

[10] शर्मा, यू., एवं डेपलर, जे. (2012). समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका: वैश्विक दृष्टिकोण से भारतीय परिप्रेक्ष्य. *शिक्षा शोध पत्रिका*, 28(2), 101–115.

[11] कौशिक, वी. (2017). समावेशी शिक्षा और भारतीय स्कूल व्यवस्था में चुनौतियाँ. *भारतीय शिक्षा समीक्षा*, 41(1), 55–67.

[12] राव, एस., एवं कुमार, आर. (2020). विविधता के लिए संवेदनशीलता: शिक्षक-प्रशिक्षकों का समावेशी दृष्टिकोण. *समावेशी शिक्षा जर्नल*, 7(3), 44–58.

[13] मित्तल, प्रीति. (2019). समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण में आईसीटी का उपयोग. *शिक्षण विधियाँ पत्रिका*, 15(4), 66–74.

[14] भारत सरकार. (2009). **विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम (RPWD Act), 2016**. मानव संसाधन विकास मंत्रालय.

[15] एनसीईआरटी. (2005). **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF 2005)**. नई दिल्ली: एनसीईआरटी प्रकाशन.

[16] एनसीटीई. (2014). **शिक्षक शिक्षा के लिए विनिर्देश और दिशा-निर्देश**. नई दिल्ली: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्।

[17] यूनेस्को. (1994). **सालामांका घोषणा और कार्य ढाँचा**. पेरिस: यूनेस्को प्रकाशन।

[18] सिंह, एस. (2016). समावेशी शिक्षा: एक सामाजिक-सांस्कृतिक अध्ययन. *भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा*, 38(2), 89–103.